08.11.2024

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक से आठ के अधिवक्ता श्री सुरेश वैष्णव उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक से आठ की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. व आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत इस न्यायालय में दिनांक 18.10.2022 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलवाई गई, जिसका प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक से आठ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या एक से आठ के अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना संख्या 46/1989 अनवान राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा बनाम माधुपुरी पुत्र सोमपुरी व अन्य में दिनांक 31.03.1995 को निर्णय हो चुका है, जिसे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित भी किया जा चुका है, जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। इसलिए प्रार्थी का यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पूर्व न्याय का सिद्धान्त की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे जबकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के तथ्य व पूर्व में निर्णित रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के तथ्य अलग–अलग है इसलिए पूर्व न्याय का सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है, उसमें प्रार्थीगण पक्षकार बनना चाहते है। अतः इस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 5501/2007 के साथ सम्मिलित किया न्यायसंगत है इसलिए अप्रार्थी संख्या एक से आठ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. व आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया जाता है कि [illegible] पटवार हल्का नया सानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1087, 1088, 1089, 1090, [illegible] 1093, 1094, 1095, व 1096 कुल किता 9 [illegible] बिस्वा से सम्बन्धित वाद प्रार्थी श्री तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो इस न्यायालय में रेफरेन्स प्रार्थना संख्या 46/1989 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.1995 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पारित निर्णय अनुसार प्रकरण को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया गया, जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण संख्या 5501/2007 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वर्तमान में विचाराधीन है। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पुनः यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

इस प्रकरण में मुख्यतः विचारणीय बिन्दु यह है कि धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत इस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होता है अथवा नहीं? इस संबंध में न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा मौजा नयासानवाडा पटवार हल्का नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1095, व 1096 कुल किता 9 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा से सम्बन्धित वाद अप्रार्थीगण विरूद्ध जिन तथ्यों के आधार पर यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से आठ के पूर्व रसाधिकारी के विरूद्ध इस न्यायालय में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र (रेफरेन्स प्रार्थना संख्या 46/1989) प्रस्तुत किया था, जिस पर इस न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई पक्षकारान प्रश्नगत भूमि के संबन्ध में गुणावगुण पर परीक्षण कर दिनांक 31.03.1995 को निर्णय पारित कर प्रकरण को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जा चुका है।

चूंकि मौजा नयासानवाडा पटवार हल्का नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1095, व 1096 कुल किता 9 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा की विषय वस्तु पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.09.1995 को निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत "पूर्व न्याय का सिद्धान्त" लागू होने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है।

अतः अप्रार्थी संख्या एक से आठ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. व आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज किया [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:39:35 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] चौधरी)
जि[illegible] कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner